



# केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली-110001  
फोन: 23353503, फैक्स: 23753923

याचिका सं. 37/टीडी/2023

दिनांक: 10.4.2023

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 15 की उप धारा (5) के खंड (क) के तहत नोटिस

संपूर्ण भारत में विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए श्रेणी-IV अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, प्रगतिपुरम्, बाइपास रोड, ऋषिकेश, उत्तराखंड-249 201 द्वारा आयोग के समक्ष आवेदन किया गया है।

2. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति के लिए वेबसाइट [www.thdc.co.in](http://www.thdc.co.in) में देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।

3. रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टया आवेदक विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अर्हक है और दिनांक 10.4.2023 के आदेश द्वारा आयोग ने अखिल भारत में विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए आवेदक को श्रेणी-IV में अनुज्ञप्ति प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

4. अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में आयोग द्वारा यथापूर्वोक्त विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के प्रस्ताव के प्रति, सुझाव या आपत्तियाँ, यदि कोई हों, आमंत्रित करने के लिए एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है जो कि दिनांक 1.5.2023 तक अयोधस्तासरी के पास दिए ऊपर दिए गए पते पर पहुंच जाएं। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. आयोग ने 4.5.2023 को अंतिम निपटान के लिए आवेदन को निर्धारित किया है और कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दाखिल करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/-

(हरप्रीत सिंह प्रुची)

साँव